



Neutral Citation No. - 2026:AHC:23559

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

क्रिमिनल मिस्ले. एंटीसिपेटरी बेल अप्लीकेशन अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस.

सं. - 1034 वर्ष 2026

उस्मान

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मृदुल चंद्र तिवारी, वत्सला उपाध्याय

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. भगवती प्रसाद को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. यह आवेदन आवेदक उमान की ओर से मुकदमा अपराध सं. 29 सन् 2024, अन्तर्गत धारा 452, 323, 504, 506, 304 भा.दं.सं., थाना दिलारी, जिला मुरादाबाद में अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोप झूठे हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद, आवेदक ने इस न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था और इस न्यायालय ने मामले के तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक अग्रिम जमानत प्रदान की थी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विवेचना अधिकारी ने आवेदक के विरुद्ध विश्वसनीय साक्ष्य एकत्र किए बिना ही उसके विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल कर दिया है, जबकि कथित अपराध

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में आवेदक की संलिप्तता सिद्ध नहीं हुई है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि आवेदक 24 वर्षीय युवक है और अग्रिम जमानत न मिलने की स्थिति में उसे अपूरणीय क्षति होगी। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जांच एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। उन्होंने कहा कि अग्रिम जमानत मिलने की स्थिति में वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, जांच में सहयोग करेगा और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया। उन्होंने आगे दलील दी कि विवेचना के दौरान विश्वसनीय साक्ष्य एकत्र किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप आरोपपत्र दाखिल किया गया है।

5. रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक के विरुद्ध अपराध करने के संबंध में विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं। विवेचना अधिकारी ने जांच के दौरान पाया कि आवेदक अपराध करने में संलिप्त है, जिसकी पुष्टि मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों से होती है, और आवेदक के विरुद्ध विश्वसनीय साक्ष्य एकत्र करने के बाद आरोपपत्र प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त, **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया है कि अग्रिम जमानत पर निर्णय करते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

6. इस मामले में, अग्रिम जमानत से संबंधित कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मामले की मेरिट पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का कोई मामला नहीं बनता है।

7. अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

3 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एस. अली

Translated Version. Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।